राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ ( )/एन.एच.एम./भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/ 23 दिनांक : 10/12/15

बैठक कार्यवाही विवरण

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 04.12.2015 को सुबह 10:30 बजे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय द्वारा सभी जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। कॉनफ्रेंस की शुरूआत में डॉ. नीरज के. पवन, अतिरिक्त मिशन निदेशक ने सभी जिलों की समीक्षा की। बैठक में निम्न लिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई और अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जिलों से कार्यक्रम की क्रियान्विति में आने वाले संशयों पर चर्चा करते हुए निर्देश प्रदान किये गये :–

1 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा।

2 विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्रीमान् अतिरिक्ति मिशन निदेशक महोदय ने स्पष्ट किया कि योजना के अन्तर्गत डिजीज पैकेज को पूरा ही क्लेम किया जायेगा और इसके अन्तर्गत उपलब्ध राशि को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकेगा।

3 आपतकालीन, दुर्घटनाग्रस्त या बेहोशी की हालत में रोगी के आने पर रोगी का इलाज अविलम्ब प्रारम्भ किया जावे। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्रता अथवा अपात्रता का निर्धारण आगामी 24 घण्टें तक किया जा सकता है। पात्रता की स्थिति में योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अस्पताल द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी से क्लेम किया जायेगा।

4 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत डे केयर पैकेजेज की स्थिति में लाभार्थी रोगी के प्रथम दिवस की गणना 24 घण्टें के आधार पर होगी यथा रात्री 11:30 बजे भर्ती होने वाले रोगी को यदि रात्री 12:00 बजें के पश्चात् डिस्चार्ज किया जाता है तो अवधि की गणना दिनांक के हिसाब से न करके घण्टों के हिसाब से कर 1 दिवस के चार्ज वाला पैकेज बुक किया जायेगा।

5 मरीज के 1 दिन के लिये भर्ती किये जाने की स्थिति में यदि कोई मरीज Specific डिजीज पैकेज के अन्तर्गत नहीं आता है तो इस स्थिति में डे–केयर (जनरल वार्ड – 750 रूपयें/प्रतिदिन या आई. सी. यू. वार्ड–1500रुपये/प्रतिदिन) का पैकेज बुक कर लाभार्थी को लाभ दिया जायेगा।

6 विडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय ने यह स्पष्ट किया कि योजना के अन्तर्गत आने वाले 1715 डिजीज पैकेज ही निर्धारित है एवं अन्य बिमारी जो डिजीज पैकेज से बाहर है उनका इलाज पूर्व के अनुसार ही किया जायेगा।

7 अतिरिक्त मिशन निदेशक ने यह भी बताया की प्रत्येक जिले पर 1 नोडल अधिकारी (R.A.S. Rank) नियुक्त किया गया है जो सम्बन्धित जिलों के कलेक्टर द्वारा नामित किया गया है इसकी सूचना पंत्राक 07 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा पूर्व में सभी जिलों को भिजवाई जा चुकी है।

8 सभी जिला अधिकारीयों को यह निर्देशित किया गया कि वें सभी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की सूचना दें एवं इस योजना से सभी को अवगत करायें जिससे की योजना की जानकारी आम जनता को मिले और अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

9 माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया कि वें सम्बन्धित जिले के योजना के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों को निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि अस्पतालों द्वारा चयनित डिजीज पैकेज की सुविधा अस्पताल में उपलब्ध हो।

10 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिन्हित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर अतिशीघ्र DRY-RUN प्रारम्भ किया जावें जिससे कि योजना के शुभारम्भ से पूर्व संभावित समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

11 माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि अतिशीघ्र समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेस आयोजित कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान, देय परिलाभ तथा लाभार्थी के विषय में दिनांक 09.12.2015 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में आशा, ए एन एम से विस्तार में चर्चा करें जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा सके एवं इस विषय में विस्तार से चर्चा करें।

12 विडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव ने आदेशित किया कि योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी की पहचान करने के लिए लाभार्थी को अपने राशन कार्ड/आर.एस.बी. वाई.कार्ड/भामाशाह कार्ड के साथ अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए एक स्वयंम का पहचान पत्र यदा वोटर आईडी/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड/कोई अन्य पहचान पत्र लाना आवश्यक है, जिससे कि यह पुष्टि की जा सके कि लाभार्थी योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले परिवार का सदस्य है।

13 माननीय मंत्री महोदय ने सभी जिला कलेक्टर एवं सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिन्हित सभी गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी यथा पैकेज, लाभार्थी तथा चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को इंगित करते हुए होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स सीट आदि तैयार कर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावें।

14 माननीय मंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि सभी जिला कलेक्टर स्वयं सुनिश्चित करे कि चिकित्सा संस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु स्थापित किये जाने वाली कियोस्क (Desk) समुचित स्थान पर हो। जिससे भर्ती होने वाले रोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

15 श्रीमान् अतिरिक्त मिशन निंदेशक महोदय ने आदेशित किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध किये जाने वाले स्वास्थ्य मार्गदर्शक निर्धारित योग्यताधारी ही हो, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावें।

16 श्रीमान् अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय ने आदेशित किया की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए लाभार्थी की सूचना सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में, रोगी द्वारा स्वयं के राशन कार्ड से अक्टुबर 2015 के पश्चात् किसी भी प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त किया जाना या रोगी द्वारा राशन कार्ड डीलर के पास उपलब्ध सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने पर उसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी मानते हुए उपलब्ध प्रमाणित सूची की स्केन कॉपी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर योजना का लाभ दिया जावें।

17 श्रीमान् अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस योजना अन्तर्गत चिकित्सक प्रॉसीजर के 7 दिवस पूर्व

तथा रोगी को चिकित्सा संस्थान से डिस्चार्ज के पश्चात् फॉलोअप के रूप में अधिकतम 15 दिवस तक Post Hospitalization का उपचार निःशुल्क दिया जावें।

18 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना संचालन के विषय में जिलों से प्राप्त समस्याओं के विषय में विडियों कॉन्फ्रेस के दौरान सॉफ्टवेयर सम्बन्धित जैसे बायो मेट्रिक फिंगर स्केनर, लॉग इन आदि की शिकायतें प्राप्त हुई इस संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय ने यह बताया कि इन समस्या हेतु DO-IT से सम्पर्क कर समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र कर लिया जायेगा।

19 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत यदि किसी रोगी को इलाज हेतु किसी अधिकृत संस्थान पर लाया गया तथा शुरूआती इलाज के बाद उसे अन्य किसी उच्च संस्थान में रेफर कर दिया गया, तो क्लेम की राशि का भुगतान जिस संस्थान में प्रक्रिया हुई है उसके द्वारा किया जाएगा तथा दूसरा संस्थान जितने दिन मरीज वहाँ रहा उतने दिन डे–केयर प्रोसिजर के हिसाब से प्रतिदिन का क्लेम कर सकेगा।

20 श्रीमान् अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय ने आदेशित किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलों के लगभग 400 चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी एवं मार्गदर्शकों को योजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर व योजना के विषय में प्रशिक्षण दिनांक 27.11.2015 से 30.11. 2015 के बीच दिया जा चुका है, प्रशिक्षित कर्मचारी चिकित्सा संस्थान के अन्य कर्मचारियों को भी योजना के विषय में जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करावें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, एम.डी. आर.आई.एस.एल., राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य)/(आर.सी.एच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्ति निदेशक सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सलाहकार आई.एस.सी., एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, राजस्थान।
18. प्रभारी सर्वर रूम को मेल बाबत्।
19. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयक्त शासन सचिव